

कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान सुलतानपुर की प्रशासकीय परिषद दिनांक 25.06.2019 का
अपरान्ह 12.30 बजे डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में
सम्पन्न हुई 46वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | इं0 विनोद कुमार मिश्रा
4/251, विवेक खण्ड-4,
गोमती नगर लखनऊ। | अध्यक्ष |
| 2. | श्री भुवनेश कुमार, आई0ए0 एस0,
सचिव,
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उ0 प्र0 शासन,
विधान भवन, लखनऊ।
द्वारा नामित प्रतिनिधि
श्री अवध किशोर,
उप सचिव,
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उ0 प्र0 शासन,
विधान भवन, लखनऊ। | उपाध्यक्ष |
| 3. | प्रो0 विनय कुमार पाठक,
कुलपति
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय,
लखनऊ। | सदस्य |
| 4. | सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)
उ0 प्र0 शासन,
विधान भवन, लखनऊ
द्वारा नामित प्रतिनिधि
श्री जी0 पी0 सिंह,
वित्त नियंत्रक
ए0के0टी0यू0, लखनऊ। | सदस्य |
| 5. | निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उ0 प्र0
कानपुर।
द्वारा नामित प्रतिनिधि
श्री के0 राम,
संयुक्त निदेशक (मध्य क्षेत्र)
प्राविधिक शिक्षा
लखनऊ। | सदस्य |

- 6 डा0 अजीत कुमार चतुर्वेदी, सदस्य
निदेशक,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
रूड़की।
- 7 डा0 कुलदीप सहाय सदस्य
आचार्य
विद्युत अभियन्त्रण विभाग,
आई0ई0 टी0, लखनऊ
- 8 डा0 एस0 यू0 सिद्दीकी, सदस्य
आचार्य
गणित विभाग,
एच0बी0टी0यू0
कानपुर।
- 9 डा0 के0 एस0 वर्मा, सदस्य
आचार्य
विद्युत अभियन्त्रण विभाग,
के0 एन0आई0टी0,
सुलतानपुर।
- 10 डा0 ए0 एस0 पाण्डेय, सदस्य
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष,
विद्युत अभियन्त्रण विभाग,
के0 एन0आई0टी0,
सुलतानपुर।
- 11 डा0 ए0 के0 सिंह विशेष आमंत्री
समन्यवयक,
टेकिप- III,
के0 एन0आई0टी0,
सुलतानपुर।
- 12 डा0 जे0 पी0 पाण्डेय सदस्य - सचिव
निदेशक,
के0 एन0आई0टी0,
सुलतानपुर।

अपरिहार्य कारणोंवश निम्नलिखित सदस्य बैठक में भाग नहीं ले सके:-

- 1 डा0 एस0 एन0 सिंह, सदस्य
कुलपति
एम0एम0एम0यू0टी,
गोरखपुर।

2

- 2 डा0 जे0 पी0 सैनी
कुलपति
एन0एस0यू0टी0,
नई दिल्ली सदस्य
- 3 डा0 इन्द्रनील मन्ना,
निदेशक,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
कानपुर। सदस्य
- 4 डा0 मनोज कुमार तिवारी,
क्षेत्रीय अधिकारी
एवं
सहायक निदेशक,
ए0आई0सी0टी0ई0,
एन0आर0ओ0-कानपुर। सदस्य
- 5 डा0 अमिताभ तिवारी,
सेन्टर हेड,
टी0सी0एस0,
गोमती नगर,
लखनऊ। सदस्य
- 6 महाप्रबन्धक,
एन0टी0पी0सी0,
टाण्डा,
अम्बेदकरनगर। सदस्य


सर्वप्रथम निदेशक संस्थान द्वारा अध्यक्ष एवं उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात निदेशक संस्थान द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

46.01:

प्रशासकीय परिषद की दिनांक 03.10.2018 को सम्पन्न 43वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

प्रशासकीय परिषद की दिनांक 03.10.2018 को सम्पन्न हुई 43वीं बैठक के कार्यवृत्त पर माननीय सदस्यों से कोई टिप्पणी नहीं प्राप्त हुई, की सूचना से अवगत होते हुए परिषद द्वारा कार्यवृत्त का निम्न के अनुसार संशोधित करते हुए कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया गया:-

“यू0पी0पी0सी0एल0 ने पत्र संख्या: Camp/पी0सी0एल/मुख्यालय/जनरल दिनांक 24.04.2019 द्वारा यू0पी0पी0सी0एल0 को कार्य न दिये जाने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। प्रशासकीय परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त, यू0पी0पी0सी0एल0 के अनुरोध पर पुनर्विचार करते हुए इस शर्त के साथ कार्य दिये जाने का अनुमोदन प्रदान किया कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी”।




3
Handwritten signature


46:02:

प्रशासकीय परिषद की दिनांक 03.10.2018 को सम्पन्न 43वीं बैठक में लिए गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना।

प्रशासकीय परिषद की दिनांक 03.10.2018 को सम्पन्न हुई 43वीं बैठक में लिए गये निर्णयों पर कार्यवाही से परिषद अवगत हुई। कृत कार्यवाही पर परिषद द्वारा सन्तोष व्यक्त करते हुए निम्नवत निर्देश दिये गये :-

1. मद संख्या 42.16: डा0 हरविन्दर सिंह के विरुद्ध प्रशासनिक दायित्वों एवं वित्तीय देनदारियों के सम्बन्ध में देय अवशेषों की जानकारी निदेशक बी0आई0ई0टी0डॉ0सी से दिनांक 30सितम्बर, 2019 तक स्पष्ट रूप से अवगत कराने हेतु पत्र प्रेषित करने के निर्देश प्रदान किये गये।
2. मद संख्या 42.31: डा0 दीपेन्द्र सिंह के विरुद्ध लम्बित जॉच को दिनांक 31अगस्त, 2019 तक पूर्ण करने हेतु डा0 ओंकार सिंह जॉच अधिकारी को पत्र प्रेषित करने के निर्देश प्रदान किये गये। उक्त तिथि जॉच पूर्ण करने के लिए अन्तिम तिथि समझा जाय।
3. मद संख्या 43.04: सी0एस0ए0 हाल एवं ट्रांजिट हास्टल को दिनांक 30अगस्त, 2019 तक पूर्ण करने हेतु कार्यदायी संस्था को पत्र प्रेषित करने के निर्देश प्रदान किये गये।
4. मद संख्या 43.11: बैलेन्स सीट में पायी गई कमियों की जॉच कर उनका समाधान दिनांक 30सितम्बर, 2019 तक पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किये गये।
5. मद संख्या 43.13: कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव के रिक्त पदों के विरुद्ध प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करते हुए 31अगस्त, 2019 तक चयन की कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये।
6. मद संख्या 43.13: संस्थान की डिस्पेंसरी में चिकित्साधिकारी, कम्पाउन्डर एवं मेडिकल अटेंडेंट की सूचना से परिषद अवगत हुई। संस्थान द्वारा डा0 जे0 पी0 सिंह, सेवा निवृत्त चिकित्साधिकारी को किये जा रहे मानदेय रू0 36000/- प्रति माह पर अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया कि संस्थान सुलतानपुर में स्थित किसी प्राइवेट नर्सिंग होम से वार्ता कर संस्थान में छात्रों हेतु चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही करायें।
7. मद संख्या 43.16: शासनादेश संख्या 4/2018/जी0-1021/10/2018-मित-01/2017 दिनांक 18.09.2018 के बिन्दु 12 के आलोक में कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये।
8. मद संख्या 43.21(i): शासनादेश संख्या/का स 2/16-1-2019-7 (01)/2018 दिनांक 18अप्रैल, 2019 द्वारा श्री शशांक शेखर मिश्रा पूर्व कुलसचिव के सम्बन्ध में संस्थान नियमों के अनुसार प्रोरेट्या पेन्शन धनराशि की अनुमन्यता नहीं है तथा इन्हें उक्त धनराशि का भुगतान किया/सम्भव नहीं है, के निर्णय से उप निदेशक, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली को अवगत कराया जा चुका है एवं इसकी प्रति संस्थान को भी पृष्ठांकित की गई है। अतएव परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि संस्थान अपने स्तर से रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को अवगत कराना सुनिश्चित करे। शासन द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में दिनांक 03.10.2018 को प्रशासकीय परिषद द्वारा मद संख्या 43.21(i): पर लिये गये निर्णय पर कोई अन्य कार्यवाही का औचित्य नहीं बनता है। उक्त से सभी विभागों को भी अवगत कराया जाय।
9. मद संख्या 43.03: 43वीं बैठक के कार्यवृत्त में अनुमोदित संशोधन के क्रम में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।



4


46.03: प्रशासकीय परिषद की दिनांक 02.04.2019 को सम्पन्न हुई 44वीं बैठक (बाई सर्कुलेशन) के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

प्रशासकीय परिषद की दिनांक 02.04.2019 को सम्पन्न हुई 44वीं बैठक (बाई सर्कुलेशन) के कार्यवृत्त पर माननीय सदस्यों द्वारा कोई टिप्पणी नहीं प्राप्त हुई, की सूचना से अवगत होते हुए परिषद द्वारा कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया गया ।

प्रशासकीय परिषद की दिनांक 10.06.2019 को सम्पन्न हुई 45वीं बैठक (बाई सर्कुलेशन) के अनुमादित कार्यवृत्त को पढ़कर सुनाया गया । परिषद द्वारा कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया गया ।

46.04: प्रशासकीय परिषद की दिनांक 02.04.2019 को सम्पन्न हुई 44वीं बैठक (बाई सर्कुलेशन) में लिए गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना ।

प्रशासकीय परिषद की दिनांक 02.04.2019 को सम्पन्न हुई 44वीं बैठक (बाई सर्कुलेशन) में लिए गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही से परिषद अवगत हुई एवं कृत कार्यवाही पर परिषद ने सन्तोष व्यक्त किया ।

46.05: अध्यक्ष प्रशासकीय परिषद द्वारा लिए गये निर्णयों का औपचारिक अनुमोदन ।

अध्यक्ष प्रशासकीय परिषद द्वारा लिये गये निम्नवत निर्णयों पर प्रशासकीय परिषद ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया:-

1. अध्यक्ष प्रशासकीय परिषद द्वारा वित्त समिति, भवन एवं कार्य समिति, केन्द्रीय कयसमिति एवं एकेडेमिक कौन्सिल में सदस्यों के नामांकन का प्रकरण ।
2. ए0के0टी0यू0 द्वारा दीन दयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार योजना के अर्न्तगत संस्थान के शैक्षणिक भवन, छात्रावासों के टायलेट, आवासीय परिषद के रेनोवेसन, कार्यशाला एवं केन्द्रीय पुस्तकायल में टायलेट के निर्माण कार्य को कराये जाने हेतु यू0पी0पी0सी0एल0 को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने का प्रकरण ।
3. परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि कार्यदायी संस्थाओं के लिए शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम वित्तीय सीमा तक ही कार्य आवंटित किये जाय ।

46.06: उ0 प्र0 शासन द्वारा प्रशासकीय परिषद में सदस्य नामित किये जाने की सूचना से परिषद को अवगत कराया जाना ।

उ0प्र0 शासन प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2840/16-1-2019-7 (14)/2005 दिनांक 8.3.2019 द्वारा संस्थान की सोसाइटी रूल्स /बाईलाज के नियम-7 के उपनियम (XII) एवं (XIII) में प्राविधानित व्यवस्था के अर्न्तगत प्रो0 जे0 पी0 सैनी, कुलपति नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नई दिल्ली को प्रशासकीय परिषद का सदस्य नामित किये जाने की सूचना से परिषद अवगत हुई ।

